संख्या-486/2021/आई/104481/ 41-1002(099)/24/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 06 सितम्बर, 2021

विषयः- जनपद मथुरा के अन्तर्गत वृन्दावन स्थित कुम्भ क्षेत्र में केशीघाट से कुम्भ द्वार तक परिक्रमा मार्ग के किनारे फेंसिंग के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1258/6-1-1/ब्र.ती.वि.प.(125)/2021, दिनांक 09 जुलाई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा के अन्तर्गत वृन्दावन स्थित कुम्भ क्षेत्र में केशीघाट से कुम्भ द्वार तक परिक्रमा मार्ग के किनारे फेंसिंग के कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किये गये आगणन रू0 141.58 लाख के सापेक्ष मूल्यांकित लागत के अनुसार निम्नवत् प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तर-2 (1) से 2(18) पर अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	आंकलित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति (रूपये लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति (रूपये लाख में)
1	जनपद मथुरा के अन्तर्गत वृन्दावन स्थित कुम्भ क्षेत्र में केशीघाट से कुम्भ द्वार तक परिक्रमा मार्ग के किनारे फेंसिंग के कार्य की परियोजना।	रू0 123.21 लाख 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित	रू0 110.18 लाख जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य)	रू0 25.00 (रूपये पच्चीस लाख मात्र)

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(4) अवमुक्तन की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्याल-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्तद (आय-व्य0यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीककृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीशकृत धनराशि का व्यदय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्तग कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तजर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्थाप को अनुमोदित लागत के अतिरिक्तज कोई अन्यु धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्थाय से कार्य के सम्प्रे क्षित लेखे अवश्यई प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(5) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्थाु को वास्ताविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्या होगी तथा इस सम्बतन्धव में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बमन्धस में प्रामाणिक प्रपत्र –जी0एस0टी0 इन्वावयस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्त र से महानिदेशक पर्यटन के माध्यकम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्तइ के अतिरिक्तध लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था् से प्राप्ति कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्धक कराया जायेगा । उक्तय के अतिरिक्तन द्वितीय किश्तर की मांग के साथ परियोजना की टेण्डपर्ड लागत /तकनीकी स्वीेकृति /टी0एस0 इस्टीणमेट व्ययय की गई धनराशि का मदवार विवरण/मेजरमेण्टप डिटेल्सड एक सप्तामह के अंदर उपलब्ध् कराया जायेगा।

(6) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चंकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था) द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीधकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या् एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्धक कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीधकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्य(य आवश्यसकतानुसार तथा वित्तन विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्यहयक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यकवस्था नुसार प्रश्नागत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्ता की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यहकता के लिए आवश्यनक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्धक करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्थाह द्वारा प्राप्तभ धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्ता अगले दो माह के लिए पुन: आवश्याक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(8) प्रश्न।गत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बरन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्थान से हस्तशगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(9) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्टज ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बसन्धक में वित्तय (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्यान-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तेर-212 (**VII)** में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता7, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मोदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीअकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्य य की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तार से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्धक कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्ब न्धित व्यरवस्थाा/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ताे, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेरदारी कार्यदायी संस्थास की होगी।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तां कित स्वीेकृत योजनान्तिर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य् स्रोतों से धनराशि प्राप्तव न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्ये में अन्यत योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यनय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्थाप से कार्य की समाप्ति के पश्चा/त सम्प्रेेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्तप कर शासन को उपलब्धो कराया जाय।

(12) अवमुक्ता की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यलय आवश्यवकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीधकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्यारज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेभज का भुगतान अनुमन्यक न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वी◌ाकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था◌ु को कार्य की आवश्येकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ताल के अनुसार सम्य क् परीक्षण करने के पश्चानत ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्तं की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या् एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्धा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना में स्वी।कृति कार्यदायी संस्थान एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्धस करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बवन्धप में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तादायित्वर कार्यदायी संस्थाक एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नतगत परियोजना हेतु अवमुक्तत धनराशि के सापेक्ष वास्तदविक रूप से व्यएय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्तार एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तार से प्राप्तय कर शासन को उपलब्धट कराया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यणकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ताफ के अनुसार सम्य क् परीक्षण करने के पश्चा त ही अवमुक्तक की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्याव एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता, आदि की पूर्ण जिम्मेरदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था◌े की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बून्ध। में वित्तज (आय-व्यआयक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्तक कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(17) प्रस्ताटवित निर्माण कार्य प्रारम्भे करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धाता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त1 आवश्यसक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीपयरेन्सव सक्षम स्तबर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बतन्धित व्यरवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्युय आवश्यशकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्थाज द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(19) प्रायोजना हेतु प्रदान की जा रही स्वीजकृति में मथुरा वृन्दारवन विकास प्राधिकरण को सेन्टेरज देय नहीं है।

3- प्रस्तहर-2 में प्रदान की जा रही वित्तीनय स्वी कृति की धनराशि पर होने वाला व्यहय चालू वित्ती य वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-42-उत्तलर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थारपना सुविधाओं का विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याथ ई-7-752/दस-2021 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 में प्राप्ता उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तैव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0**, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0**, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी , उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
5- जिलाधिकारी मथुरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी ,मथुरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- श्री दिनेश कुमार उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया क्रमांक-**3,4 5, 6, 8, 9, 10, 12** व **13** पर अंकित अधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

9- उपाध्यक्ष ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।

10- मुख्य अभियन्ता ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण ,मथुरा।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**7**

12- उप निदेशक,आगरा।

13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।

14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।